देश में अखबारी कागज का उत्पादन

979. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अखबारी कागज का कितना उत्पादन होता है और इसकी खपत कितनी है;

(ख) क्या अखबारी कागज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जाता है;

(ग) यदि हां तो इसके आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने इसके आयात में कमी करने और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1992-93 के दौरान देश में अखबारी कागज की मांग और उत्पादन क्रमशः 5.80 लाख मी० टन और 3.12 लाख मी० टन था।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज का आयात इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु०)
1990-91	285.70
1991-92	342.91
1992-93	321.27

(घ) से (च) आयात-निर्यात नीति के अधीन अखबारी कागज का आयात प्रतिबंधित है। अब अखबारी कागज एककों की वार्षिक पात्रता (जैसा कि भारत के अखबारी कागज रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई है) 200 मी० टन से अधिक है वे स्वदेश में निर्मित प्रति 2 मी० टन अखबारी कागज के लिए एक मी० टन मानक अखबारी कागज का आयात कर सकते हैं, ये 2 मी० टन अखबारी कागज वे अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध किसी भी मिल से खरीद सकते हैं। जिन अखबारी कागज एककों की वार्षिक पात्रता 200 मी० टन से कम है वे भारत के अखबारी कागज रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए वार्षिक पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर मानक अखबारी कागज का आयात कर सकते हैं। सरकार ने स्वदेशी अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है:—

1. औद्योगिक लाइसेंसी आशय पत्रों के माध्यम से 7.20 लाख मी० टन क्षमता की मंजूरी दी गई है।

2. नई औद्योगिक नीति के अधीन खोई, कृषि अवशेषों और अन्य अपरम्परागत कच्चे माल से निकलने वाली लुगदी का कम से कम 75% प्रयोग करने वाले अखबारी कागज एककों को स्थापना स्थल संबंधी शर्त के अधीन अनिवार्य लाइसेंसीकरण से छूट दी गई है। इसके परिणामस्वरूप अखबारी कागज के उत्पादन के लिए इच्छुक उद्यमियों द्वारा कुल 12.65 लाख मी० टन क्षमता के लिए 22 औद्योगिकी उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए है।

3. अखबारी कागज के निर्माण के लिए लकड़ी की लुगदी के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है।

4. अखबारी कागज में स्वदेशी उपलब्धता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसी कागज मिलों को जो अखबारी कागज के लिए बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप कागज का निर्माण कर रही है और यदि इनके कागज का प्रयोग समाचार पत्रों द्वारा किया जा रहा है और इसकी क्वालिटी संतोषजनक पाई गई है तो सरकार

द्वारा इन्हें अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में शामिल करने के लिए विचार किया जाता है । लगभग 1.50 लाख मी० टन वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाली 11 काग़ज मिलों को, अखबारी कागज का निर्माण करने वाली मिलों के रूप में, अखबारी कागज का नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है ।

Participation of Medium and Small Scale Industries for foreign collaboration

@ 980. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARV/ALIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there is any scope under liberalised police for participation of Medium and Small Scale Industries for collaboration with foreign companies ;

(b) whether it is a fact that only large industrial houses, monopoly houses and their Associations have up-to-date information with regard to the change of policies;

(c) if so, in what manner medium and small scale industries can get up-to-date information so that they can also particpate in the liberalised industrial atmosphere for development of the country; and

(d) whether it is a fact that monopoly houses and their Associations are invited by Government to meet foreign delegates for development of trade and commerce in the country, if so, how Government would ensure that medium and small scale industrialists also get opportunity to meet these foreign delegates and play an important role in the development of the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir. Government policy in regard to industrial approvals, foreign investment and changes made therein, from time to time, are given wide publicity through the Press Information Bureau of the Government of India. The relevant documents/press notes/notifications etc., containing these policies and changes made therein are also made available by the Entrepreneur Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bliavan. Besides, the Indian Investment Centre, New Delhi also periodically brivgs out publications containing up-to-date information with regard to the change of industrial policies and procedures for the guidance of ail entrepreneurs.

(d) During meetings of the Inter-Governmental Joint Commissions, Working Groups, other bilateral Fora, etc. and depending upon the agenda in these meetings, the representatives of industry and trade including medium and small scale sectors are regularly associated in discussions with their counterparts and other-foreign delegates.

Starting of cigarette unit by M/s. R. J. Reynolds

981. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. R. J. Reynolds has been issued Letter of Intent to start a cigarette unit; and

(b) if so, what are the details of terms nvd conditions thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) M/s. R. J. Reynold Tobacco International S. A., Switzerland have been issued

@Previous Unstarred Question No. 311, transferred from 6th December, 1993.